दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

बैठक/कार्यशाला

जनपद–बलिया।

दिनांक– 04 अगस्त, 2026

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत निर्धारित तिथियाँ वित्तीय वर्ष 2026–27

विवरण	छात्र/छात्रा का स्तर		शिक्षण संस्थान स्तर	विश्व विद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर	जनपद स्तर	
					Correct Data	Suspect Data
शिक्षण संस्थाओं का मास्टर डेटा सत्यापन	–		22 जुलाई, 2026 से 15 अगस्त, 2026 तक	23 जुलाई, 2026 से 30 अगस्त, 2026 तक	–	–
ऑनलाइ आवेदन करने/सत्यापन की तिथि	नवीन (Fresh)	15 सितंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक	16 सितंबर, 2026 से 10 नवंबर, 2026 तक	16 सितंबर, 2026 से 25 नवंबर, 2026 तक	06 दिसंबर, 2026 से 15 दिसंबर, 2026 तक	11 जनवरी, 2027 से 20 जनवरी, 2027 तक
	नवीनीकरण (Renewal)	15 सितंबर, 2026 से 15 अक्टूबर, 2026 तक	15 सितंबर, 2026 से 25 अक्टूबर, 2026 तक	15 सितंबर, 2026 से 05 नवंबर, 2026 तक	21 नवंबर, 2026 से 26 नवंबर, 2026 तक	01 जनवरी, 2027 से 10 जनवरी, 2027 तक

शैक्षिक सत्र 2026–27 में छात्रों/शिक्षण संस्थान स्तर से मुख्य कार्यवाही:–

क्र० सं०	कोर्स का नाम	जाति/वर्ग	न्यूनतम प्राप्तांक	कार्यवाही
1	बी०ए०/बी०एस०सी०/ बी०काम०/एम०ए०/एम०एस०सी० आदि नान प्रोफेशनल कोर्स	अनुसूचित जाति/जनजाति	33%	यदि ऐसे कोर्स में छात्रों के अंक न्यूनतम प्राप्तांक से कम है, तो शिक्षण संस्थान स्तर से आवदेन अग्रसारित नही किये जायेगें।
		सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक	50%	
2	बी०एड०/डी०एल०एड०/ एल०एल०बी० आदि प्रोफेशनल कोस	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक	50%	यदि ऐसे कोर्स में छात्रों के अंक न्यूनतम प्राप्तांक से कम है, तो शिक्षण संस्थान स्तर से आवदेन अग्रसारित नही किये जायेगें।
		सामान्य वर्ग	55%	
3	बी0टेक0/ए0एन0एम0/जी0 एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सि ंग/बी0फार्मा/डी0फार्मा आदि कार्स जिनमें कोर्स की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट हा	सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक	60%	यदि ऐसे कोर्स में छात्रों के अंक न्यूनतम प्राप्तांक से कम है, तो शिक्षण संस्थान स्तर से आवदेन अग्रसारित नही किये जायेगें।

शैक्षिक सत्र 2026–27 में छात्रों/शिक्षण संस्थान स्तर से मुख्य कार्यवाही:–

क्र० सं०	कोर्स का नाम	जाति/वर्ग	अधि० आयु	कार्यवाही
4	आई0टी0आई0 कोर्स में	अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक	6 वर्ष	ऐसे कोर्स में छात्र के हाईस्कूल उत्तीर्ण के 6 वर्ष के अन्दर ही आवेदन अग्रसारित किये जायेगें।
5	सभी कोर्स में	अनुसूचित जाति/जनजाति/	40 वर्ष	निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों की आयु से कम वाले आवेदन ही अग्रसारित किये जायेगें।
		अल्पसंख्यक/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	30 वर्ष	
6	सभी कोर्स में	अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक	ऐसे समस्त छात्र जिन्होने हाईस्कूल यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0सी0, आई0सी0एस0सी0, एन0आई0ओ0 एस0, संस्कृत एवं ए0एम0यू0 (अलीगढ़ मुस्लिम) बोर्ड से उत्तीर्ण न होकर किसी अन्य बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण किया है, जैसे(बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, इत्यादि), तो ऐसे छात्रों के आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर से अग्रसारित नही किये जायेगें।	
7	सभी कोर्स में	अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक	75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले छात्र ही छात्रवृत्ति की योजना से लाभान्वित होते है।	

विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी/परीक्षा नियंत्रक हेतु निर्देश

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति कार्य हेतु सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, संबंधित अधिकृत संस्था से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर मास्टर डेटा को सत्यापित करके लाक करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली एजेन्सी/कार्मिक का विस्तृत विवरण पत्रावली में सुरक्षित रखना होगा।

2. सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षाफल को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त यथाशीघ्र छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा। छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाफल को सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी के परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक भी किया जायेगा।

3. मास्टर डेटा मे भरे गये शिक्षण संस्थानों के संबंधित अभिलेख, छात्रों की सूची एवं समस्त संलग्नकों को पी0डी0एफ0 फाइल की साफ्ट कापी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षवार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।

4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जायेगा तथा नवीनीकरण हेतु प्रत्येक छात्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।

शिक्षण संस्थान हेतु आवश्यक बिन्दु

1. छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक शिक्षण संस्था द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। अलग–अलग शिक्षण संस्थान के लिए अलग–अलग नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। नामित नोडल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर उसी शिक्षण संस्था हेतु मान्य होगा। एन0आई0सी0 द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्था में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करने वाले कार्मिक का लॉगिन तिथि एवं समय के साथ सुरक्षित रखा जायेगा।

2. शिक्षण संस्था में डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने वाले कार्मिकों की ई0के0वाई0सी0/बायोमैट्रिक छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपडेट करानी होगी।

3. अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखें, किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नही करें, जैसे जैसे अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहे उतने की जांच/मिलान करते हुए अग्रसारित करते रहें।

4. जिन छात्रों का डेटा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार त्रुटिपूर्ण/अपात्र/गलत होगा, उनका डेटा संस्थान द्वारा किसी भी दशा में अग्रसारित नही किया जायेगा, संस्था स्तर पर आवेदन को उपयुक्त कारण दर्शाते हुए निरस्त करना होगा। किसी भी दशा में संस्थान स्तर पर छात्रों का डेटा ना छूटे।

5. जब तक माता/पिता में से कोई एक जीवित है, तब तक माता/पिता जैसी भी स्थिति हो के सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा। केवल उस मामले में जब माता/पिता दोनो की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय ली जायेगी जो छात्र को पढाई में सहयोग कर रहा है। पुत्री के विवाह हो जाने की दशा में पति की आय ली जायेगी।

शिक्षण संस्थान हेतु आवश्यक बिन्दु

6. यदि कोई छात्र विगत वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त पाठयक्रम को अधूरा छोड कर किसी दूसरे पाठयक्रम में प्रवेश लेता है तो वह नये पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नही होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र पर औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा किन्तु पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अपात्र हो जायेगा।यदि किसी छात्र द्वारा अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम चयनित होकर रैंकिग के आधार पर प्रोफेशनल कोर्स मे ं प्रवेश लेता है, किन्तु वह पूर्व में नॉन प्रोफेशनल कोर्स की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरान्त अधूरा छोड़ कर उच्च स्तर के प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेता है, जो जिला समाज कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग/जिला अल्पसंख्यक कल्याण की संस्तुति पर निदेशक महोदय द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आधार पर प्रथम वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगे।

7. आनलाइन आवेदन में कोई भी डेटा/विवरण/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की इस योजना में अपात्र होगें।

8. राजकीय एवं निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र इस योजना में अपात्र होगें।

9. राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि, छात्र द्वारा भरी गयी, विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डेटा में लाक की गयी शुल्क, शिक्षण संस्था द्वारा लॉक की गयी शुल्क तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉक की गयी शुल्क में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

शिक्षण संस्थान हेतु आवश्यक बिन्दु

10. छात्रो ं द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रो ं का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित टीम द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह उत्तरदायी होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखो ं का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं पात्र पाये गये आवेदन पत्रो ं को संस्थान स्तर से अग्रसारित किया जायेगा।

संस्था स्तर पर गठित टीम का विवरणः–

1. संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2. संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक	सदस्य
3. संस्था के वरिष्ठतम् अनु0जाति के प्राध्यापक	सदस्य
4. संस्था के वरिष्ठतम् सा0जाति के प्राध्यापक	सदस्य
5. संस्था के वरिष्ठतम् पि0 वर्ग के प्राध्यापक	सदस्य
6. संस्था के वरिष्ठतम् अल्प0 वर्ग के प्राध्यापक	सदस्य

छात्रों हेतु आवश्यक बिन्दु

1. शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in के माध्यम से ही भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नही होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा डेटा लॉक किये जाने के उपरान्त किसी भी दशा मे ं किसी स्तर पर कोई भी परिवर्तन नही होगा। आनलाईन डेटा मे ं छेड़छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. छात्र/छात्राओं द्वारा अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट आउट के साथ वांछित डाक्यूमेंट जैसे– आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुए अपने शिक्षण संस्था में संबंधित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर ले। आवेदन पत्र आनलाइन सबमिट करने के उपरान्त समय सारणी में निर्धारित कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।

3. प्रत्येक छात्र/छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण पत्र पर अंकित नाम एवं जन्मतिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। विवाहित पुत्री की स्थिति मे ं आधार कार्ड में पति का नाम व पता आदि अपडेट कराना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र मे ं आधार ई0के0वाई0सी0 के पश्चात छात्र/छात्रा का समस्त विवरण, बै ंक विवरण आटोफेच होकर प्रदर्शित होगा।

https://scholarship.up.gov.in

धन्यवाद